प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 31.07.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 31.07.2026 को 01 अभियोग में सजा करायी गयी है।

थाना-ऊसराहार

मा0 न्यायालय स्पे0 पॉक्सों कोर्ट द्वारा अभियुक्त अंकित उर्फ बबलू पुत्र विनोद कुमार नि0 हविलिया मामन थाना ऊसराहार जनपद इटावा को 03 वर्ष के कारावास व 7000/रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना ऊसराहार पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय स्पे0 पॉक्सों कोर्ट द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास व 7000/रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- थाना ऊसराहार क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग बहन को घर पर अकेला देख कर छेडखानी करना व बताने पर जान से मारने की धमकी देने सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनाँक **19.07.2022** को **मु0अ0सं0 156/2022 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में **विवेचना अधिकारी उ0नि0 पंकज कुमार** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना ऊसराहार पुलिस टीम, पैरोकार का0 मनोज कुमार व मानीटरिंग सेल टीम व एडीजीसी श्री दशरथ सिंह चौहान द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 31.07.2026 को अन्तर्गत धारा 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट **में मा0 न्यायालय स्पे0 पॉक्सों कोर्ट द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास व 7000/रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1.अंकित उर्फ बबलू पुत्र विनोद कुमार नि0 हविलिया मामन थाना ऊसराहार जनपद इटावा।